न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 894–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश पत्रिका एवं सूचना पत्र दिनांक 8–3–2016 पारित द्वारा तहसीलदार, कुम्भराज प्रकरण कमांक 1/अ–68/2015–16.

राजबहादुर सिंह पुत्र इन्दर सिंह राजपूत
निवासी कुम्भराज
तहसील कुम्भराज जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, गुना .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, कुम्भराज द्वारा पारित आदेश पत्रिका एवं सूचना पत्र दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक राजबहादुर सिंह राजपूत द्वारा ग्राम कुम्भराज पंटवारी हल्का नं. 40 स्थित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार, कुम्भराज द्वारा अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया एवं हल्का पटवारी से स्थल जॉच कराई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई । हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27–2–2016 को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अनावेदक द्वारा सर्वे कमांक 603 मिन 1 रकबा 25x40 वर्गफीट पर खुली व बागड़ के रूप में अतिक्रमण किया

गया है । पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–68/2915–16 दर्ज कर अनावेदक को संहिता की धारा 248 के अंतर्गत सूचना पत्र जारी करते हुए प्रकरण में कार्यवाही की जाकर दिनांक 8–3–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 603 मिन 1 रकबा 25x40 वर्गफीट पर आवेदक का 70–75 वर्ष पुराना पैतृक मकान बना हुआ है, और तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को जो कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, वह विधिवत नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का विधिवत जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर नहीं दिया गया है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का अंतरिम आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि संगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही नहीं की जाकर जल्दबाजी में कार्यवाही की जा रही है, जिससे आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो रहा है, जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप तहसील न्यायालय को आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, साथ ही आदेश पारित करने के पूर्व तहसीलदार को आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर मौके पर नापकर सुनिश्चित

करना चाहिए कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, अथवा नहीं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे विधिवत आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, कुम्भराज द्वारा पारित आदेश पत्रिका एवं सूचना पत्र दिनांक 8–3–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर